अगोपनीय

फा. सं. 6/08/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 7 अगस्त, 2024

अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. - एडीडी (ओ.आई.) 08/23

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/08/2023-डीजीटीआर: - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. अतुल लिमिटेड (जिसे आगे "घरेलू उद्योग" या "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर संशोधित एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुसार नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समक्ष चीन पीआर (जिसे आगे "विषयगत देश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) से "सल्फर ब्लैक" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "विषयगत सामान" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 की धारा 9ए के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/08/2023-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

ख. **<u>प्रक्रिया</u>**

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णिज प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने नियम 5 उपनियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने दिनांक 20 सितंबर 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार भेजी थी।

घ. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भेजी थी।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश में निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन. गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी।

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों / निर्यातकों के नाम
i.	डालियान डाइकेम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
ii.	हेबेई फुक्सिन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
iii.	हेबेई झाओक्सियन
iv.	जियांग्शी यारन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
v.	क़िंगदाओ लैंगके कंपनी लिमिटेड
vi.	क़िंगदाओ टोंगली यूनाइटेड कंपनी लिमिटेड
vii.	शांक्सी लिनफेन डाइंग केमिकल्स
viii.	शांक्सी लिनफेन डाइंग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
ix.	शांक्सी यिंगचांग
x.	शीज़ीयाज़ूआंग हे डाई केम कंपनी लिमिटेड
xi.	शीज़ीयाज़ूआंग तेंगहुई कैमिकल।
xii.	सनी केमिकल कंपनी लिमिटेड
xiii.	झेजियांग रंटू कंपनी लिमिटेड

छ. उपर्युक्त के उत्तर में चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों / निर्यातकों के नाम
i.	डालियान डाइकेम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (जिसे आगे "डाईकेम" कहा गया है)
ii.	शेडोंग डाएरियार्न इकोचैम कं, लिमिटेड (जिसे आगे "शेडोंग इकोकैम" कहा गया है)

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी।

क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं / आयातकों के नाम
i.	एशियाटिक कलर-केम इंड. लिमिटेड
ii.	भानु डाइस प्राइवेट लिमिटेड
iii.	कलरबॉक्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
iv.	ममता टेक्स डाइस प्राइवेट लिमिटेड
v.	एनएस एक्सपोर्ट्स
vi.	शंकर लाल रामपाल डाई केम लिमिटेड
vii.	सल्फास्ट केमिकल इंडस्ट्रीज
viii.	सुमोटेक्स कॉर्पोरेशन
ix.	सिंथो फार्मा केमिकल्स
x.	वाघेश्वरी एंटरप्राइजेज

झ. किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर या कोई कानूनी अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

ञ. विदेशी उत्पादक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी माना गया है।

ट. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी शेयर किया गया। केवल घरेलू उद्योग द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की गई थी। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।

ठ. प्राधिकारी ने दिनांक 20 सितंबर 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद की उचित तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के प्रस्ताव के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की। तत्पश्चात प्राधिकारी ने 9 नवंबर 2023 को एक बैठक की थी।

ड. वर्चुअल बैठक में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और उसके बाद प्रस्तुत लिखित टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने अधिसूचित किया कि वर्तमान जांच में पीसीएन पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है।

ढ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

ण. आवेदक ने जांच अवधि के रूप में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का प्रस्ताव किया था। तथापि, जांच अवधि (पीओआई) के रूप में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) पर विचार किया गया था। क्षति विश्लेषण अवधि में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 और जांच अवधि शामिल है।

त. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों (जीएएपी) और एडी नियमावली 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत आय के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

थ. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना / आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम में उन पर भरोसा किया गया है।

द. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 6 फरवरी 2024 को हाइब्रिड मोड में हुई सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और बाद में खंडन अनुरोध (यदि कोई हों) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

ध. हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

न. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है।

प. पीओआई और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए सौदावार आयात आंकड़े डीजी सिस्टम के सौदावार आंकड़ों से लिए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

फ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है।

ब. प्राधिकरण ने 25 जुलाई 2024 को सभी इच्छुक पक्षों को सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण प्रसारित किया। अंतिम निष्कर्षों में, हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरणों पर, जहां तक प्रासंगिक पाया गया, टिप्पणियों पर विचार किया गया है।

भ. इस प्रकटन विवरण में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर v प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = **81.06 रुपए** है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के बारे में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सल्फर ब्लैक है जिसे सेलोलोज फाइफर, विस्कोस स्टेपल फाइबर और यार्न को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह उत्पाद या पाउडर रूप में होता है या तरल रूप में होता है।

ख. इस उत्पाद को विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित भी किया जाता है। इन दृढ़ताओं को बीआर 100, बीआर 200, बीआर 220, बीआर 240 आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। मानक सांद्रण बीआर 220 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 32041967 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एक समर्पित कोड होने के बावजूद आयात विभिन्न अन्य उपशीर्षों के अंतर्गत भी हो रहे हैं। आवेदक ने प्राधिकारी से 4 अंकीय स्तर अर्थात 3204 पर शुल्कों की सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

घ. अजंता प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने नोट किया कि पाटनरोधी शुल्क को तब तक नहीं प्रभारित किया जा सकता जब तक सभी एचएसएम कोड शुल्क तालिका में शामिल न हों।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद से वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

6. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" हैं । सल्फर ब्लैक का प्रयोग मुख्यत: डाइंग सेल्युलोज फाइबर, विस्कोस स्टेपल फाइबर और यार्न के लिए किया जाता है । इसे या तो पावडर रूप में या तरल रूप में उत्पादित किया जाता है । इसके उत्पादन के रूप पर विचार किए बिना इसे किसी खास अतिरिक्त लागत के बिना एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है । विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न दृढ़ताओं में उत्पादित किया जाता है । इन दृढताओं को बीआर 100, बीआर 200, बीआर 220, बीआर 240, आदि के रूप में वर्णित किया जाता है । बीआर 220 को मानत दृढ़ता निर्दिष्ट किया गया है । यद्यपि, उत्पाद को विभिन्न दृढ़ताओं में उत्पादित किया जाता है, तथापि उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है ।

4. सल्फर ब्लैक का प्राथमिक रूप से डाइंग सेल्युलोज फाइबर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे डाइंग विस्कोस स्टेपल फाइबर और यार्न, पेपर और लेदर के लिए भी प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद का प्राथमिक अनुप्रयोग वस्त्र, कागज और चमड़ा क्षेत्रों में है ।

5. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 32 के एच एस कोड 32041967 के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है । तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी का आयात अन्य उप शीर्षों अर्थात 32041196, 32041218, 32041911, 32041925, 32041958, 32041964, 32041969, 32041979 और 32049000 के अंतर्गत ही किया गया

है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सल्फर ब्लैक" है। इसका मुख्यत: सेलुलोज फाइबर, विस्कोजस्टेपल फाइबर और यार्न की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। इसके प्राथमिक प्रयोग वस्त्र, कागज और चमड़ा उद्योग में होते हैं। इस उत्पाद को तरल या पाउडर रूप में उत्पादित किया जाता है। अपने उत्पादन के रूप पर विचार किए बिना इस उत्पाद को कोई खास अतिरिक्त लागत खर्च किए बिना एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जाता है। प्राधिकारी जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को समान मानने का प्रस्ताव करते हैं।

8. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के सौदावार आंकड़ों पर विचार किया है और यह पाया है कि विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 32 के अंतर्गत एचएस कोड 32041967 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि विचाराधीन उत्पाद को 32041196, 32041911, 32041958, 32041969, 32049000, 32041218, 32041979, 32041964 और 32041925 के अंतर्गत भी आयातित किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण के सांकेतिक है और संबद्ध जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

9 प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में सभी हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धति की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की थी। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों के आधार पर वर्तमान जांच के लिए पीसीएन पद्धति बनाने की कोई जरूरत नहीं देखी थी। चूंकि विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न सांद्रणों जैसे बीआर 100, बीआर 200, बीआर 220, बीआर 240 आदि में उत्पादित किया जाता है। इसलिए प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को वास्तविक और समान दोनों ग्रेड अर्थात बीआर 220 पर आधारित सूचना देने का निदेश दिया है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित वस्तु से रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं

कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के "समान वस्तु" है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

11. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

    क. समर्थक व्यापार सूचना 13/2018 का अनुपालन करने में विफल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित था। इसके अलावा, उन्हें व्यापार सूचना 13/2018 के अंतर्गत यथा अपेक्षित आवेदन के लिए समर्थन व्यक्त करना आवश्यक है।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

12. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

    क. वर्तमान आवेदन अतुल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

    ख. एप्को डाई केम, भानु डाईज प्राइवेट लिमिटेड, खेकड़ा केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स मौलिक डाईकेम, नितिन इंडस्ट्रीज और वी.एस. अपैरल्स ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का समर्थन किया है।

    ग. अकेले आवेदक के पास कुल घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत हिस्सा है। समर्थकों के साथ विचार करने पर उनका हिस्सा *** प्रतिशत है। आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 की अपेक्षा को पूरा करता है।

    घ. प्राधिकारी ने पूर्व में घरेलू उत्पादकों को तब भी समर्थक माना है जब उन्होंने व्यापार सूचना 13/2018 के अनुसार विस्तृत अपेक्षाएं प्रस्तुत नहीं की थीं। क्षमता, उत्पादन और बिक्री संबंधी सूचना पर्याप्त पाई गई है। बांग्लादेश और थाईलैंड से 'हाइड्रोजन पेरोक्साइड' के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच का हवाला दिया गया है।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

13. घरेलू उद्योग के स्थिति और दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच और समाधान निम्नानुसार किया गया है:

पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

14. यह आवेदन मे० अतुल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के 9 अन्य उत्पादकों की एक सूची उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल आवेदका का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का *** प्रतिशत बनता है।

15. प्राधिकारी को अन्य उत्पादकों अर्थात एप्को डाई केम, खेकड़ा केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, मौलिक डाई केम, नितिन इंडस्ट्रीज, वी.एस. अपैरल्स और महादेव डाईज एंड केमिकल्स, से समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं। भानु डाईज प्राइवेट लिमिटेड ने भी आवेदन का समर्थन किया है। तथापि, यह आवेदक विचाराधीन उत्पाद की आयात में भी शामिल है।

16. इन उत्पादकों द्वारा दायर समर्थन पत्र में उनकी क्षमता उत्पादन और घरेलू बिक्रियों संबंधी जानकारी शामिल है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि समर्थकों द्वारा दायर समर्थन पत्रों को व्यापार सूचना 13/2018 के उल्लंघन के कारण अनदेखा करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 13/2018 को दिनांक 16 जून 2021 व्यापार सूचना 4/2021 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें समर्थकों को क्षमता,

उत्पादन और बिक्रियों से संबंधित सीमित जानकारी के साथ समर्थन देने की अनुमति है। अत: प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में अन्य उत्पादकों द्वारा व्यक्त समर्थन पर विचार किया है। समर्थकों के साथ घरेलू उद्योग का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का लगभग *** प्रतिशत बनता है।

17. आवेदक भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है और उसने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। आवेदक के पास अन्य भारतीय उत्पादकों के समर्थन के साथ या उसके बिना कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है।

18. अत: रिकार्ड में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर अतुल लिमिटेड को घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव करते हैं और यह मानते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

19. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विनिर्माण प्रक्रिया, विरोधी उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पादों की सूची, वितरण का चैनल, वित्तीय प्रणाली और निर्यात समायोजन संबंधी अत्यधिक गोपनीयता के बारे में आवेदक का दावा निराधार आरोप है। विरोधी पक्षकारों ने समस्त आवश्यक सूचना प्रदान की है।

ख. विनिर्माण प्रक्रिया व्यापार संवेदनशील सूचना है और इसलिए अगोपनीय अंश में उसके गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ग. शोंडोंग इकोकेम के पास कोई उत्पाद ब्रासर नहीं है और यह बात उत्तर में बताई गई है।

घ. शौंडोंग इकोकेम का घरेलू और निर्यातकों के लिए वितरण और विपणन का चैनल वित्तीय लेखांकन प्रणाली और निर्यात कीमत समायोजनों की सूची व्यापार संवेदनशील सूचना है और इसलिए अगोपनीय अंश में उसका प्रकटन नहीं किया गया है।

ङ. शौंडोंग इकोकेम ने उत्तर दिया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री या पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन प्रयुक्त इनपुट की आपूर्ति में कोई संबंधित कंपनियां शामिल नहीं हैं।

ङ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

20. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. शौंडोंग इकोकेम ने निर्यात कीमत समायोजन, वितरण के चैनल और वित्तीय लेखांकन प्रणाली का प्रकटन नहीं किया है, जिसने घरेलू उद्योग की उसके हितों की संरक्षण की क्षमता को काफी अधिक प्रभावित किया है।

ख. चीन के उत्पादक और निर्यातक व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहे हैं। जैसे उत्पादन प्रक्रिया और संबंधित पक्षकारों की सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ङ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

21. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था।

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

''गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के

प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

23. घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा उनके जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया गया है और तदुनसार, समाधान किया गया है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध मुद्दों अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक को व्यापार उपचार उपायों की प्रयोग की एक आदत है। उन्होंने पहले ही 10 वर्षों से अधिक से पाटनराधी शुल्क का लाभ उठाया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर्याप्त संरक्षण है।

ख. आवेदक ने जानबूझकर ऐसी अवधि चुनी है जो नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव दर्शाती है और उसमें आवेदन दायर किया है और यह स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकटन विवरण के स्तर पर पूर्ववर्ती याचिका को वापस ले लिया था, क्योंकि उन्हें भागीदार उत्पादक / निर्यातक के ऋणात्मक क्षति मार्जिन का पता लग गया था।

ग. आवेदक मुख्य रूप से डैनिम उद्योग को उत्पाद बेच रहा है और वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सल्फर ब्लैक की बिक्री वस्त्र आयातक देशों में अधिक महंगाई के कारण प्रभावित हुई है और पूरी वस्त्र मूल्य चेन में मालसूची का स्तर अधिक है।

घ. 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में एक आग लगने की घटना बताई गई है और आवेदक को 32 करोड़ रूपए का घाटा हुआ था। यह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित संयंत्र में हो सकती है। प्राधिकारी सत्यापित कर सकते हैं।

ड. चीन के सल्फर ब्लैक के उत्पादक उच्च गुणवत्ता के उत्पाद और मानक देते हैं, जो यूरोप और अमेरिका में वस्त्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संबद्ध आयात इन मानकों को पूरा करते हैं। आवेदक मानक को पूरा करने में असमर्थ है। शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए वस्त्रों का उत्पादन करना और पश्चिमी देशों को निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा।

च. चीन के कुछ निर्यातक पाटन की प्रक्रिया में शामिल हैं, जो उत्पाद गुणवत्ता पर, प्रौद्योगिकी अपग्रेड और लागत कटौती पर केंद्रित उत्पादकों / निर्यातकों से सहयोग कर रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन उच्च गुणवत्ता के उत्पादों पर पहुंच बाधित हो सकती है।

छ. सहयोगी उत्पादक / निर्यातक के निष्पादन मापदंड पर घरेलू उद्योग का निष्कर्ष वास्तविक संख्याओं के बजाय सूचकांक संख्याओं पर आधारित है।

ज. बिक्री मात्रा का सूचकांक शेडोंग इकोकेम के उत्तर एनसीवी के आधार पर गलत है। घरेलू बिक्रियों में पीओआई के दौरान भारत और अन्य देशों सहित निर्यात बिक्रियों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।

झ. भारत को निर्यात कंपनी की कुल बिक्री का केवल 3 प्रतिशत है। भारतीय बाजार शेडोंग इकोकेम का मुख्य फोकस नहीं है।

ञ. चीन के अन्य उत्पादक भारत में डाईकेम और शेडोंग इकोकेम द्वारा बेचे गए बीआर 200 से कमतर कीमत पर बीआर 240 का निर्यात कर रहे हैं। शेडोंग इकोकेम ने पीओआई के दौरान भारतीय बाजार में उत्पाद का कभी भी पाटन नहीं किया है।

ट. चीन से संबद्ध वस्तु के आयात में भारत में घरेलू मांग के बढ़ने के साथ पाटनरोधी शुल्क हटाने के बाद अचानक वृद्धि हुई है। यह वैश्वीकृत व्यापार प्रणाली को दर्शाता है जिसमें देश उत्पादों का मुख्य रूप से लेन-देन करते हैं। बंद बाजारों से एकाधिकार सृजित होता है, जो नवाचार को धीमा कर देता है और लागत बढ़ा देता है। डीआई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन (डीएनसीबी) की उत्पादन प्रौद्योगिकी और कच्ची सामग्री की लागत में उन्नति से लागत में कमी आई और गुणवत्ता अच्छी हो गई है जिससे संभावित कीमत गिरावट के बावजूद बिक्री लाभप्रद रही है।

च.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुचित आयातों के विरुद्ध उपचार करने की मांग के समय की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, सभी पूर्ववर्ती जांचों में केवल विस्तृत जांच के बाद ही प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाया था। घरेलू उद्योग के बजाय यह विदेशी उत्पादक हैं जिन्हें पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने की आदत लग गई है।

ख. घरेलू उद्योग 1300 से अधिक उत्पादों का विनिर्माण करता है और केवल कलर्ड डिवीजन में 17 भिन्न-भिन्न उत्पाद हैं। यदि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी जांच का

प्रयोग करने की आदत है तो उसने अन्य उत्पादों पर भी व्यापार उपचारातमक उपायों की मांग की होती।

ग. पूर्ववर्ती आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा बाद की अवधि में भारी कीमत कटौती, पाटन और क्षति मार्जिन के कारण वापस ले लिया गया था और शुल्क की राशि वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर तय की जाएगी। इस बात को जांच समाप्ति अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है।

घ. चीन के उत्पादक आदतन पाटनकर्ता हैं और उन्हें उनके व्यवहार के कारण घरेलू उद्योग को भी क्षति की कोई चिंता नहीं है।

ड. 2021-22 की पीओआई में दायर आवेदन में 70-80 प्रतिशत पाटन मार्जिन का दावा किया गया था, जो वर्तमान पीओआई में बढ़ कर लगभग 90-100 प्रतिशत हो गया है। इस भारी पाटन मार्जिन के कारण भारतीय उद्योग को अत्यधिक नुकसान हुआ है।

च. घरेलू उद्योग केवल अनुचित कीमतों में सुधार की मांग कर रहा है। यदि विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर विचाराधीन उत्पाद बेच रहे हैं तो घरेलू उद्योग को उपचारात्मक कार्रवाई की मांग करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी।

छ. वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण इस संदर्भ में है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू और वैश्विक बाजारों में उच्चतर मांग की आशा की है।

ज. वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते हैं कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण कंपनी के समग्र प्रचालन के बारे में है।

झ. शेडोंग इकोकेम की भारत को निर्यात बिक्री में पीओआई में वृद्धि हुई है जबकि उनकी घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है जो उत्पादक के निर्यातोन्मुखी होने को दर्शाती है। इसके अलावा, अन्य देशों को निर्यातों में गिरावट आई है जबकि भारत को निर्यातों में वृद्धि हुई।

ञ. चीन जन. गण. से शेडोंग इकोकेम द्वारा घरेलू कीमत में वृद्धि के बावजूद भारत में निर्यात कीमत में थोड़ी कमी की गई है। अन्य देशों को कीमत में भारी वृद्धि हुई है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

26. इस दलील के संबंध के संबंध में कि घरेलू उद्योग आदतन व्यापार उपचार उपायों का प्रयोग करता है और उसने लगभग दस वर्ष की अवधि से पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों / निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपचार की मांग करने के लिए घरेलू उद्योग के आवेदन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है या पाटनरोधी शुल्क लगाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश केवल प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद ही की जाती है और जब आवश्यक कानूनी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं।

27. प्राधिकारी ने विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध की जांच की है कि घरेलू उद्योग ने पूर्ववर्ती आवेदन को वापस ले लिया था। यह देखा गया है कि पूर्ववर्ती आवेदन को वापस लेने की वर्तमान जांच में कोई प्रासांगिकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान जांच में पीओआई पूर्ववर्ती जांच से अलग है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने बाद की अवधि में भारी कीमत कटौती, पाटन और क्षति मार्जिन के आधार पर आवेदक के अनुरोध पर पूर्ववर्ती जांच को समाप्त किया था।

28. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई यह दलील कि चीन के उत्पादक संबद्ध वस्तु की बेहतर गुणवत्ता देते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुभवजन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की है और अपने दावे को सही ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। चूंकि किसी भी प्रयोक्ता ने यह साक्ष्य दर्शाने के लिए वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है कि आयातित उत्पाद बेहतर गुणवत्ता देता है। इसलिए प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रमाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकते हैं।

29. घरेलू उद्योग के संयंत्र में 2022-23 में हुई आग लगने की घटना के संबंध में और 32 करोड़ रूपए के नुकसान के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का प्रति - सत्यापन करने के बाद प्राधिकारी ने नोट किया कि यह आग गैर विचाराधीन उत्पाद के संयंत्र में

लगी थी। अत: उससे हुए किसी नुकसान या क्षति के लिए पीयूसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

30. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि सल्फर ब्लैक की बिक्रियां वस्त्र आयातक देशों में अधिक महंगई और वार्षिक रिपोर्ट में बताए गए अनुसार वस्त्र मूल्य श्रृंखला में मालसूची के उच्च स्तर के कारण प्रभावित हुई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कलर डिवीजन में अन्य उत्पाद जैसे वैट डाइज, रिएक्टिव डाइज, डायरेक्ट डाइज, कृत्रिम खाद्य रंग, बल्क रसायन, जैविक उच्च निष्पादन रंग आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट समग्र रूप से है और न कि केवल विचाराधीन उत्पाद के बारे में । अत: वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण में वर्तमान जांच में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था मानने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं क्योंकि डब्ल्यूटीओ में एक्सेसन का प्रोटोकोल 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है।

ख. शेडोंग इकोकेम चीन में एक निजी कंपनी है और केवल बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों के अनुसार प्रचालन करती है और बाजार के दर्जे को मान्यता देनी चाहिए।

ग. शेडोंग इकोकेम और डाईकेम ने भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन नहीं किया है और हमेशा अपनी लागत पर घरेलू और विश्वव्यापी प्रयोक्ताओं को आपूर्ति की है।

घ. शेडोंग इकोकेम और डाईकेम ने सभी पाटनरोधी जांचों में सहयोग किया है। तथापि, कम कीमत पर बिक्री के अन्य निर्यातकों के व्यवहार के कारण प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक को नुकसान हो रहा है।

ड. डाईकेम का अनेक वर्षों तक भारत को सल्फर ब्लैक के निर्यात का इतिहास रहा है। घरेलू बाजार में आपूर्ति करने के अलावा, इस उत्पाद को विश्व के 40 से अधिक देशों को निर्यात भी किया गया है। विरोधी पक्षकारों की बिक्री कीमत पूरी तरह वास्तविक लागत पर आधारित है और उनकी बिक्रियां लाभप्रद हैं।

च. शेडोंग इकोकेम डाईकेम ने न केवल भारत को संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात किया है। उसने पीओआई के दौरान डाईकेम के जरिए निर्यात किया है। डाईकेम केवल निर्यातक है और संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल नहीं है।

छ. शेडोंग इकोकेम ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री में या पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु के वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट के आपूर्ति में कोई संबंधित कंपनी शामिल नहीं है।

ज. डाईकेम ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वह केवल व्यापारिक कंपनी है। उसकी मूल कंपनी डालियान ग्रीन पीक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड ने काफी समय पहले संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है। तथापि वह अब भी फ्लोरो पिकरीन का उत्पादन करने वाला एक उत्पादक है।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन को एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 के कारण गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है। अनुच्छेद 15(घ) के अनुसार, केवल अनुच्छेद 15(क)(II) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होगा और अनुच्छेद 15(क)(I) नहीं। अत: प्राधिकारी चीन में घरेलू कीमतों या लागतों पर केवल तभी विचार कर सकते हैं यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हों कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं।

ख. एडी नियमावली के अनुबंध-। के नियम 7 में एक आंतरिक क्रम है और सामान्य मूल्य को पहले विकल्प में बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्य मूल्य को तुर्किए में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।

ग. तुर्किए संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उपभोक्ता है। घरेलू उद्योग ने तुर्किए को संबद्ध वस्तु का काफी निर्यात किया है। आवेदक द्वारा किए गए निर्यात व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हैं और कीमतें बिक्री लागत से अधिक हैं। तुर्किए को बेचे गए उत्पाद आयातित उत्पाद से तुलनीय हैं।

घ. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और यूएसए से 'पेरोक्सोसल्फेट्स (परसल्फेट्स)' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच (सितंबर 2021) में तुर्किए को चीन जन. गण. के लिए एक प्रतिनिधि बाजार अर्थव्यवस्था माना था और वह अर्थव्यवस्था तथा विकास के स्तर में चीन से तुलनीय है।

ड. शेडोंग इकोकेम एमईटी प्रश्नावली का उत्तर देने में विफल रहा है। इसलिए उनकी घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित नहीं करना चाहिए।

च. जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक / निर्यातक अपनी लागत और कीमतों को विश्वसनीय साबित नहीं करते हैं तब तक उनकी घरेलू लागत और कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

33. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:

i. शेडोंग डोरिअरन इकोकेम कंपनी लिमिटेड
ii. डालियान डाईकेम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन

छ.3.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

35. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार

प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

36. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

37. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने अपने स्वयं के आंकड़ों / सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार कि :

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित

पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

38. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत या जहां ऐसा संभव न हो समान वस्तु के लिए भारत में वास्वत में प्रदत्त या देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, सहित किसी तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य पैरा 7 के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

39. प्राधिकारी विभिन्न निर्णयों में बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए दिए गए मौजूदा न्यायशास्त्र को भी नोट करते हैं। इन निर्णयों में एक उचित विकल्प और उससे संबंधित दायित्वों के चयन के संबंध में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

40. आवेदन के स्तर पर घरेलू उद्योग ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य का दावा किया। घरेलू उद्योग ने तुर्किए पर आयातों पर विचार किया, क्योंकि तुर्किए ऐसी वस्तुओं की प्रचलित कीमत सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उचित है। तथापि, भारत में डीजी सिस्टम के सौदावार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस उत्पाद का विभिन्न सांद्रणों में व्यापार किया जाता है, जिन पर उत्पाद को आयात किया गया है।

41. इसके अलावा, जहां सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में प्रचलित कीमत पर निर्धारित किया जाता है, वहां प्राधिकारी के लिए संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद की जांच करना अपेक्षित है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने

चीन के लिए तुर्किए को बाजार अर्थव्यवस्था वाला उचित तीसरा देश मानने के लिए कोई सूचना नहीं दी है। अत: प्राधिकारी ने भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के तर्कसंगत योग के साथ घरेलू उद्योग की ईष्टतम लागत पर विचार किया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

42. शेडोंग डोरिअरन इकोकेम कंपनी लिमिटेड जो चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दिया है। शेडोंग डोरिअरन इकोकेम कंपनी लिमिटेड ने सीधे भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। भारत को उनके निर्यात एक असंबंधित निर्यातक अर्थात डालियान डाइकेम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के जरिए किए गए हैं। डालियान डाइकेम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने भी वर्तमान जांच में भाग लिया है और विहित प्रपत्रों में प्राधिकारी को संगत ब्यौरे दिए हैं।

43. पीओआई के दौरान शेडोंग इकोकेम ने भारत को *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का *** प्रतिशत भारत को सहयोगी असंबंधित निर्यातक अर्थात डाईकेम के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया गया है।

44. उत्पादक और निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन करने के बाद इनकी अनुमति दी है। तदनुसार, शेडोंग इकोकेम के लिए कारखानाद्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>**अन्य उत्पादक**</u>

निवल निर्यात कीमत का निर्धारण

45. चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

46. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन की गणना की गई है और नीचे दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

क्र.सं.	**विवरण**	**सामान्य मूल्य**	**निवल निर्यात कीमत**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन**	**रेंज**
		यूएसडी/एमटी	**यूएसडी/एमटी**	**यूएसडी/एमटी**	**%**	**%**
1	शेडोंग डोरिअरन इकोकेम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
2	अन्य कोई उत्पादक	***	***	***	***	60-70

ज. <u>**क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच**</u>

ज.1 <u>**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**</u>

47. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक ने आयात में वृद्धि को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया और क्षति को सिद्ध किया है। घरेलू उद्योग के दावे प्रकाशित सूचना के विपरीत है और भारतीय उत्पादकों को क्षति दर्शाने के लिए बनाए गए प्रतीत होते हैं।

ख. आवेदक ने 2020-21 और 2021-22 अपनी क्षमता में वृद्धि की है। क्षमता उपयोग में 2020-21 में गिरावट आई है। तथापि, 2021-22 में वृद्धि हुई है और पीओआई में गिरावट आई है।

ग. आवेदक - संयंत्र की स्थापना में आई लागत को स्थिर करने में असमर्थ रहा है।

घ. क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए 22 प्रतिशत की आय पर विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि नियोजित पूंजी के उधार वाले हिस्से पर लगभग 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की ब्याज दर लगती है। वैश्विक मंदी के इस युग में इतनी अधिक आय की अनुमति देना गलत है।

ड. ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा ह्योसंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि 22 प्रतिशत आय को अपनाने के कारण क्षति निर्धारण प्रभावित हुआ है।

च. यूरोपीय संघ क्षति अवधि के हिस्से के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय पर विचार करने की प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें पाटित आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था।

छ. ईएफएमए बनाम काउंसिल मामले में न्यायालय ने माना था कि लक्षित कीमत उस लाभ मार्जिन तक सीमित होनी चाहए जिस पर उद्योग क्षति के अभाव में तर्कसंगत रूप से भरोसा कर सकता हो।

ज. आवेदक को अन्य कारणों की वजह से क्षति हो रही है, जिनमें आंतरिक समस्याएं, वैविश्क रूप से मंदी की बाजार दशाएं, भारतीय रूपए का मुद्रा अवमूल्यन आदि शामिल हो सकता है।

झ. वैविश्क उत्पादकों के लाभों में मंदी वाले बाजार और आर्थिक दशाओं के कारण गिरावट आई है। वर्तमान में वस्त्र और परिधान उद्योग में वैविश्क शिफ्ट हुआ है और भविष्य में उद्योग चीन से हटकर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और विभिन्न दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर चला जाएगा।

ञ. आवेदक के लाभ आदर्श नहीं हैं या उनमें गिरावट कोविड-19 महामारी के बाद विश्व में समग्र आर्थिक मंदी के कारण आई है।

ट. पूर्ववर्ती शुल्क को जुलाई 2019 में हटाया गया था और उस अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी ने निष्पादन को प्रभावित किया। 2019 की तुलना वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाएगी और केवल यह दर्शाएगी कि सामान्य व्यापार कोविड से हुई मंदी से उबर रहा था और आयातों में वृद्धि पाटन और क्षति की मौजूदगी को नहीं दर्शाती है।

ठ. पूर्ववर्ती शुल्क को जुलाई, 2019 में हटाया गया था और उक्त अवधि में कोविड-19 फैल गया जिससे 2020-22 के दौरान निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। अत: आधार वर्ष की तुलना से वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलेगा। इस प्रकार, बाजार हिस्से को समग्र खपत और आयात मात्रा के अनुपात के आधार पर परिकलित करना चाहिए और न कि 2019 के आधार पर ।

ड. भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों में अचानक वृद्धि पाटनरोधी शुल्क के हटने के बाद सामान्य वृद्धि को दर्शाती है और 15 वर्षों के दौरान मांग में पर्याप्त विस्तार को दर्शाती है। इसी प्रकार, चीन को भारत के डाई निर्यातों में भी भारी वृद्धि देखी गई है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

48. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन का एक लंबा इतिहास रहा है।

ख. चीन में मांग में गिरावट और चीन के उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता के कारण उत्पादक / निर्यातक भारत में आक्रामक रूप से पीयूसी का पाटन कर रहे हैं।

ग. कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई है, परंतु विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट आई है।

घ. आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के दौरान कम थी। पाटनरोधी शुल्क के हटने के बाद आयातों में पूरी क्षति अवधि और जांच अवधि में वृद्धि जारी रही है।

ड. 2020-21 में वृद्धि के लिए भारत और चीन जन. गण. में कोविड-19 लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2021-22 में निरंतर आयात मात्रा भी कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई है। तथापि, पीओआई के दौरान आयातों में भारी वृद्धि हुई, जो आधार वर्ष की तुलना में मात्रा के अनुसार लगभग 8 गुना के स्तर पर पहुंच गया।

च. विचाराधीन उत्पाद की मांग में पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देश से आयातों में अचानक वृद्धि ने भारत में मांग की वृद्धि को पछाड़ दिया है।

छ. आयातों में वृद्धि समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन की दृष्टि से हुई है।

ज. कच्ची सामग्री में मामूली बदलाव को देखते हुए आयातों की पहुंच कीमत प्रत्याशित कीमत से कम से कम 14,000 रूपए कम थी।

झ. लागत में वृद्धि के बावजूद आयात कीमतों में गिरावट आई और पीओआई के दौरान इनमें और अधिक कमी आई। परिणामस्वरूप, आयात कीमत अपनी सामान्य स्थिति से कम से कम 43,000 रूपए तक घट गई थी।

ञ. आधार वर्ष में कच्ची सामग्री की लागत और आयात कीमत पर विचार करते हुए आयातों की पहुंच कीमत लगभग 2,20,000 एमटी होनी चाहिए थी। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत 174,000 रूपए एमटी थी।

ट. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है।

ठ. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं।

ड. पहुंच कीमत और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान धीरे-धीरे गिरावट आई है, पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की परिवर्तनशील लागत से कम थी।

ढ. यदि घरेलू उद्योग आयात कीमत पर बेचता है, तो उसे उत्पादन की मानक लागत पर भी घाटा उठाना पड़ेगा और वित्तीय घाटों की स्थिति और खराब हो जाएगी।

ण. घरेलू उद्योग पर अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देशों के आयातों के बाजार हिस्से में पीओआई में वृद्धि हुई है।

त. भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से पीओआई में गिरावट आई है। यद्यपि उद्योग के पास देश में समूची मांग को पूरा करने की क्षमता है, परंतु आयात मांग के लगभग *** प्रतिशत को पूरा कर रहे हैं।

थ. निर्यात बाजार के बढ़ते हुए व्यापार के मद्देनजर और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है।

द. मांग और क्षमता में वृद्धि के बावजूद पीओआई में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।

ध. पीओआई में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची अधिकतम रही थी।

न. क्षति अवधि में आयातों में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के लाभ को काफी अधिक प्रभावित किया है जिससे वित्तीय घाटे हुए हैं।

प. घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में भारी गिरावट आई है। पीओआई में घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है और वे घाटे बन गए हैं। पीओआई में पीबीआईटी और पीडीआईटी में गिरावट आई है।

फ. कम कीमत के आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है और उनकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

ब. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के बावजूद क्षति अवधि और पीओआई में निवेश पर आय में गिरावट आई है। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने निवेश पर न्यूनतम आय दर्ज की है, जो प्रचलित बैंक दर से भी कम हो गई है।

भ. घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत मापदंडों की दृष्टि से ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है।

म. पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक और काफी अधिक है।

य. मूल जांच में घरेलू उद्योग को विभिन्न मापदंडों में कोई क्षति नहीं हुई थी। तथापि, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को उन मापदंडों में भी क्षति हुई है, जो पहले अप्रभावित थे।

कक. भारत को आयात कीमत में उतनी सीमा तक वृद्धि नहीं हुई है, जितनी अन्य देशों को आयात कीमत में वृद्धि हुई है।

खख. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के अविष्कार संबंधी अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

गग. कोई बहुआयामी क्षमता विस्तार नहीं हुआ है। नए संयंत्र ने मार्च 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। फरवरी, 2022 में पुराने संयंत्र में उत्पादन बंद हो गया। अत: वर्ष 2021-22 में नए संयंत्र के प्रचालन के एक महीने के कारण क्षमता में कुछ वृद्धि प्रदर्शित हुई है और 2022-23 में क्षमता में पूर्ण वृद्धि हुई है।

घघ. घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान कोई नया संयंत्र स्थापित नहीं किया है। घरेलू उद्योग को क्षति का प्राथमिक कारण आयात कीमतों में तब कमी होना है जब कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है।

डड. प्राधिकारी और न्यायाधिकरण ने यह रुख अपनाया है कि जब तक अन्य हितबद्ध पक्षकार अलग आय पर विचार करने की जरूरत न दर्शाएं तब तक क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए 22 प्रतिशत की अनुमति होगी।

चच. इसके अलावा, एक्ज़िमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने एनआईपी के निर्धारण के लिए 22 प्रतिशत की आय पर विचार करने की प्राधिकारी की काफी समय से चल रही प्रक्रिया को नोट किया है।

छछ. अन्य ज्ञात कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

जज. कारणात्मक संबंध के लिए कानूनी अपेक्षा पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच "एक" कारणात्मक संबंध की मौजूदगी है। यह अपेक्षा पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच विशेष कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की नहीं है।

झझ. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच किसी विशेष कारणात्मक संबंध के बजाय एक कारणात्मक संबंध की प्रासांगिकता और महत्व की डब्ल्यूटीओ द्वारा यूएस - हॉट रोल्ड स्टील के मामले में विस्तार से जांच की गई है।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। यहां प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

50. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " .... *...पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए..* "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना

आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

51. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस दावे को सही सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। संगत साक्ष्य की अनुपस्थिति में प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोपों की जांच नहीं की है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि नियमावली में यह अपेक्षित नहीं है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण होने चाहिए।

52. कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आयात कीमत में गिरावट के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री की कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि, पीओआई में आयात कीमत में गिरावट आई है। आयात कीमत उस कीमत से काफी कम है, जो उसे पीओआई के दौरान होना चाहिए था।

53. विरोधी हितपद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई इस दलील के संबंध में कि विश्व भर में बाजार और आर्थिक स्थिति में मंदी के कारण उत्पादक के लाभों में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। घरेलू बाजार में मांग वृद्धि दर्शाती है और इसलिए इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

54. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए 22 प्रतिशत की आय पर विचार करने को अनुचित बताने वाले अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार है।

55. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्क संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और लागू कानूनों के आलोक

में रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

56. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग / स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है।

क्र. सं.	मांग / स्पष्ट खपत	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	104	92
2	समर्थकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	73	74
3	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	77	73
4	संबद्ध देश	एमटी	19	759	848	2740
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3977	4443	14355
5	अन्य देशों से आयात	एमटी	0	0	0	0
6	**कुल मांग**	**एमटी**	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	98	109
7	**आवेदक की क्षमता**	**एमटी**	***	***	***	***
8	**आवेदक और समर्थकों के लिए कुल क्षमता**	**एमटी**	***	***	***	***

57. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में 2021 में गिरावट आई, परंतु उसके बाद इसमें वृद्धि हुई। मांग में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है। 2021 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण मांग में गिरावट आई है।

ख. <u>संबद्ध देश की आयात मात्रा</u>

58. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से लिए गए सौदावार आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क	आयात मात्रा					
1	संबद्ध देश	एमटी	19	759	848	2740
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3977	4443	14355
ख	निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
1	-उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	5650	4244	17120
2	-खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	5355	4518	13169
3	-कुल आयात	%	100	100	100	100

59. यह देखा गया है कि :-

क. संबद्ध देश से आयात जांच अवधि में भारत में विचाराधीन उत्पाद का 100 प्रतिशत बनते हैं।

ख. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा क्षति अवधि में वृद्धि हुई है और पीओआई में आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है।

ग. संबद्ध देशों से आयातों में पीओआई भारत में उत्पादन की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

घ. मांग में आयातों का बाजार हिस्सा निरंतर बढ़ता रहा है। आयात मांग - आपूर्ति में अंतर के बावजूद भारत में काफी अधिक हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

60. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों प्रभाव अन्यथा कीमत में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में काफी बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग पर कीमतों का प्रभाव संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में रहा है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री लागत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. क्षति अवधि के दौरान आयात कीमत की वृद्धि

61. निम्नांकित तालिका क्षति अवधि के दौरान आयात कीमत में वृद्धि दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	आयातों की पहुंच कीमत	रू/एमटी	159,636	140,767	181,038	173,272
2	कच्ची सामग्री की लागत	रू/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	167	172
3	अंतर	रू/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	52	35

62. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में 2020-21 में गिरावट आई है, 2021-22 में वृद्धि हुई है और जांच अवधि में गिरावट पुन: गिरावट आई है। जांच अवधि में कच्ची सामग्री में लागत के बावजूद आयात कीमत में गिरावट आई। यह देखा गया है

कि आयातों की पहुंच कीमत और कच्ची सामग्री की लागत के बीच अंतर रहा है। आयात कीमत कच्ची सामग्री की लागत के अनुरूप नहीं रही है।

ख. कीमत कटौती

63. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयात में कटौती प्रभाव निम्नानुसार ज्ञात किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	पहुंच कीमत	रू/एमटी	159,636	140,767	181,038	173,272
2	निवल बिक्री प्राप्ति	रू/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	127	148
3	कीमत कटौती	रू/एमटी	(***)	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	(***)	***	***	***
5	कीमत कटौती	रेंज	0-10	10-20	10-20	30-40

64. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। कीमत कटौती में संपूर्ण क्षति अवधि में लगातार वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती करने वाले हैं।

ग. कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों में काफी अधिक न्यूनीकरण करना है या घरेलू कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में बदलावों की निम्नानुसार जांच की गई है ।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रू/एमटी	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	141	175
2	निवल बिक्री प्राप्ति	रू/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	127	148
3	पहुंच कीमत	रू/एमटी	159,636	140,767	181,038	173,272
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	113	109

66. यह देखा गया है कि :-

क. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 2019-20 में पहुंच कीमत से कम रही थी और चूंकि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कम थी। इसलिए घरेलू उद्योग लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम था।

ख. बिक्री लागत में वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है, परंतु पहुंच कीमत में भारी गिरावट के कारण बिक्री कीमत में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग अब भी लाभकारी कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम था।

ग. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में पीओआई में वृद्धि हुई है। बिक्री कीमत में 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है।

घ. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि, पहुंच कीमत में गिरावट आई है। इस अवधि में पाटित आयातों की मात्रा में भी भारी वृद्धि देखी गई है। घरेलू उद्योग लागत में बदलावों के साथ अपनी बिक्री कीमत का तालमेल बैठाने में असमर्थ रहा था।

ङ विषय आयात इसलिए घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहे हैं

ज.3.3 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग के पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और

निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिनसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिनमें बिक्रियां, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधित मापदंडों की वस्तुनिष्ठ ढंग से जांच की है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

68. क्षति अवधि के दौरा घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	135	135
2	उत्पाद	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	114	86
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	85	64
4	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	104	92

69. यह देखा गया है कि :-

क. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में विस्तार किया है और यह बताया कि वह देश में वर्तमान और संभावित मांग तथा निर्यात प्रयोजनों के मद्देनजर की गई थी।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है। भारत में क्षमताओं और मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है।

ग. घरेलू बिक्री में 2020-21 तक गिरावट आई। 2021-22 में वृद्धि हुई, परंतु पीओआई में पुन: गिरावट आई।

घ. मांग में वृद्धि के बावजूद, पीओआई में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। यदि विचाराधीन उत्पाद उचित मूल्य पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर गया होता, तो घरेलू उद्योग इस तरह की वस्तुओं की काफी अधिक मात्रा में बिक्री कर सकता था। हालांकि, पर्याप्त मूल्य कटौती के कारण घरेलू बिक्री में गिरावट आई।

ङ. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया, तथापि, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पीओआई में गिरावट आई और यह न्यूनतम दर्ज की गई।

च. संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है।

ख. बाजार हिस्सा

70. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार में पर पाटित आयातों के प्रभाव निम्नानुसार जांच की है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	105	84
2	समर्थक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	74	68
3	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	78	67
4	संबद्ध देश	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	5355	4518	13169

71. यह देखा गया है कि संबद्ध देश का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में केवल लगभग शून्य था, जो पाटनरोधी उपायों के लागू होने की वजह से था। तथापि, शुल्क समाप्त होने के बाद संबद्ध देश के बाजार हिस्से में 2020-21 तक वृद्धि हुई, परंतु 2021-22 में गिरावट आई। जांच अवधि में संबद्ध देश के बाजार हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में गिरावट आई है।

72. समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में भी आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में भारी गिरावट आई है।

ग. मालसूची

73. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	आरंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
2	अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
3	औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	103	157

74. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2020-21 में गिरावट आई। मालसूची में 2021-22 में वृद्धि हुई और पीओआई में और अधिक वृद्धि हुई। भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की एकत्रित मालसूची में पूर्ववर्ती वर्षों तथा आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने पीओआई में सर्वाधिक मालसूची दर्ज की है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

75. घरेलू उद्योग के निष्पादन की लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	रू/एमटी	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	43	-19
2	लाभ/(हानि)	रू लाख	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	45	-18
3	नकद लाभ प्रति यूनिट	रू/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	65	52
4	नकद लाभ	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	67	48
5	पीबीआईटी प्रति यूनिट	रू/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	62	34
6	पीबीआईटी	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	64	31
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	27	11

76. यह देखा गया है कि :-

क. घरेलू उद्योग के लाभ में पूरी क्षति अवधि में लगातार गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने पीओआई में घाटे दर्ज किए हैं।

ख. क्षति अवधि के दौरान पीबीआईटी और नकद लाभ में गिरावट आई है ।

ग. पूरी क्षति अवधि में नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और पीओआई में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान नियोजित पूंजी पर न्यूनतम आय दर्ज की है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

77. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	184	169
2	उत्पादकता प्रति दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	114	86
3	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	62	51
4	मजदूरी	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	99	123

78. यह देखा गया है कि :-

क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त मजदूरी में पीओआई में वृद्धि हुई है।

ख. कर्मचारियों संख्या, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में पीओआई में गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये कारक विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर निर्भर करते हैं और इसलिए इनमें हुई क्षति दिखती नहीं है।

च. वृद्धि

79. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	वाई/वाई	3	31	0
2	उत्पादन	वाई/वाई	-29	60	-25
3	घरेलू बिक्री मात्रा	वाई/वाई	-27	41	-11
4	पीबीटी प्रति यूनिट	वाई/वाई	-23	-43	-145
5	पीबीआईटी प्रति यूनिट	वाई/वाई	-25	-18	-45
6	नकद लाभ प्रति यूनिट	वाई/वाई	-12	-27	-20
7	नियोजित पूंजी पर आय	वाई/वाई	-48	-48	-59

80. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि पीओआई के दौरान सभी प्रमुख क्षति मापदंडों में ऋणात्मक रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों में भी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

छ. पाटन की मात्रा

81. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है, जहां तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। जांच से पता चला है कि जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

82. घरेलू उद्योग ने हाल की अवधि में अपने क्षमता विस्तार के प्रयोजनार्थ काफी निधियों का निवेश किया है। तथापि, पीओआई में घरेलू उद्योग के लाभ घाटे में बदल गए।

झ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

83. ये देखा गया है कि जांच अवधि में आयात कीमत में तेजी से गिरावट आई है। आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट उत्पादन लागत या कच्ची सामग्री में किसी समान गिरावट के बिना आई है। घरेलू उद्योग को 2019-20 और 2020-21 में अच्छा हो रहा था। तथापि, 2021-

22 में लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई और जांच अवधि में उसमें और अधिक गिरावट आई। कीमत गिरावट के लिए कारक के रूप में कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। आवेदक ने निर्यात में लाभ कमाया गया है। अत: घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन आवेदक की कीमत को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक प्रतीत होता है।

ञ.3.4 <u>क्षति का समग्र मूल्यांकन</u>

84. उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

क. चोट की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

ख. पीओआई के दौरान भारतीय उत्पादन की तुलना में संबंधित देश से आयात में भी वृद्धि हुई है।

ग. मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक है।

घ. संबंधित देश से आयात ने आवेदक को लागत में वृद्धि के अनुरूप मूल्य बढ़ाने से रोका है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में कमी आई है।

ङ. जांच की अवधि के e.In, घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि विषय आयातों के लिए इसमें वृद्धि हुई है।

च. संस्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट आई।

छ. घरेलू उद्योग को अपनी लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। आवेदक वित्तीय घाटे और पूंजी निवेश पर नगण्य रिटर्न से पीड़ित है।

ज. आवेदक के पास माल-सूची पीओआई में तेजी से बढ़ी है।

झ. घरेलू उद्योग को मात्रा और चोट के मापदंडों पर नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है।

झ. कारणात्मक संबंध

85. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो

रही हो या क्षति का खतरा हो ताकि इन अन्य कारकों की वजह से कोई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में, संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में प्रवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई हैं कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

86. चीन जन. गण. से आयात पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का 100 प्रतिशत है। पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का किसी अन्य देश द्वारा निर्यात नहीं किया गया है।

ख. मांग का संकुचन

87. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में कमी के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हुआ है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

88. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में किसी ज्ञात वास्तविक बदलाव से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि खपत की प्रवृत्ति के परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

89. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। अत प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अत प्रौद्योगिकी के विकास से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

च. निर्यात निष्पादन

91. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के क्षति संबंधी आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। अत निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

92. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अत घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ञ. <u>क्षति और कारण लिंक पर निष्कर्ष</u>

93. प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

क. संबंधित देश से विषय वस्तुओं के आयात भारतीय बाजार में इसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर प्रवेश कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पाटन हो रही है।

ख. पीओआई में आयात मूल्य में गिरावट आई है। उतराई तक का मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है जिसने घरेलू उद्योग को बिक्री लागत में वृद्धि करने के साथ-साथ

अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि करने से रोक दिया है। इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहे हैं।

ग. कुल मिलाकर, बीमावृत्ति अवधि के दौरान संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

घ. आयातों ने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छीन लिया है।

ङ. आयात में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है।

च. डंपिंग माजन न्यूनतम और महत्वपूर्ण से अधिक है।

छ. संबंधित देश से आयातों के परिणामस्वरूप नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ और आय के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन तेजी से बिगड़ा है। प्रभाव इस हद तक था कि आवेदक को पीओआई में वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

ट. क्षति मार्जिन की मात्रा

94. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम तिमाहीवार उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम तिमाहीवार उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत और / या एनआईपी से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों और / या परिसंपत्तियों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के ब्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली की अनुमति दी गई है।

95. उपर्युक्त पहुंच कीमत और निर्धारित एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों / निर्यातकों के लिए यथा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	रेंज
		यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	%	%
1	शेडोंग डोरिअरन इकोकेम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20

ठ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ठ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

96. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन के उत्पादकों को चीन में पूर्ववर्ती औद्योगिक बदलाव के कारण कम लागतों का लाभ मिला है। भारतीय उत्पादकों को भविष्य में इसका लाभ मिलेगा।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा और मांग को पूरा करने और घरेलू उत्पादकों द्वारा कीमत वृद्धि के कारण विफलता की वजह से कीमत में वृद्धि होगी।

ग. चीन के उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के हैं। भारतीय बाजार में चीन के अन्य उत्पादकों के नकली उत्पाद भी है, जो घटिया गुणवत्ता के हैं। ये स्थानीय नकली उत्पाद पाटनरोधी शुल्क लगवा कर चीन के आयातों की अच्छी गुणवत्ता को रोकने की उम्मीद करते हैं।

घ. इस अनुरोध के संबंध में कि आयातक आमतौर पर काफी स्थापित नहीं हैं, जो ऐसे पाटनरोधी मामलों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय और धन लगा सकते हैं। अत: गैर भागीदारी को पाटनरोधी शुल्क लगाने में उनका समर्थन नहीं मांगा जाना चाहिए।

ड. घरेलू उद्योग और समर्थकों का मिलकर भारत में एकाधिकार है जिसके पास कुल भारतीय उत्पादन का 98 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग का खुले तौर पर विरोध करना असंभव है। इसलिए प्रयोक्ताओं ने चुप रहने का विकल्प चुना है।

च. घरेलू उद्योग पाटनरोधी उपायों का दुरुपयोग करता है।

छ. आवेदक पाटनरोधी उपायों का घरेलू बाजार में एकाधिकार स्थापित कर और अधिक लाभ कमाने के लिए उपयोग करता है। डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता बुरी तरह प्रभावित होंगे और डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतिस्पधात्मकता गंवा देंगे।

ज. पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों, विशेष रूप से डेनिम क्षेत्र की लागतें बढ़ जाएंगी, जो काफी कम लाभ मार्जिन पर कार्य कर करता है। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिस्पर्धी क्षमता को नुकसान होगा जिसका लाभ बांग्लादेश जैसे देशों के लोग उठाएंगे।

झ. पाटनरोधी शुल्क हटने के बाद आयातों में वृद्धि सामान्य है। डाउनस्ट्रीम उद्योगों में उत्पाद की मांग में 2006 से निरंतर वृद्धि देखी गई है। तथापि, आवेदक प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए विशिष्ट संकेतकों पर फोकस करता है।

ञ. आवेदक का बाजार हिस्सा काफी अधिक है, पाटनरोधी शुल्क को फिर लगाना जनहित में नहीं है, बल्कि केवल कुछ उत्पादकों के हित में है। कंपनी भारतीय बाजार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए उपायों का प्रयोग करने की उम्मीद करती है और इससे डाउनस्ट्रीम के हित को नुकसान होगा और आवेदक को अत्यधिक लाभ मिलेगा।

ट. पाटनरोधी शुल्क डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। डेनिम उद्योग एक कम मार्जिन वाला उद्योग है और सल्फर ब्लैक में उच्चतर

लागत अंतर से भारतीय डेनिम उद्योग धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धी क्षमता गंवा देगा और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों से उद्योग हार जाएगा।

ठ. भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग कच्ची सामग्री की अधिक लागत के कारण बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता गंवा देंगे।

ड. पहले लागू पाटनरोधी शुल्क 10 साल से अधिक समय में समाप्त हुआ जिसकी वजह से घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम उद्योगों को काफी नुकसान पहुंचा कर उच्च लाभ कमाने में सक्षम हुआ। संबद्ध वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत भारत में काफी कम थी, जिससे भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग को महंगा घरेलू सल्फर ब्लैक खरीदना पड़ा।

ढ. पाटनरोधी शुल्क हटने के बाद आयातों में वृद्धि एक स्वाभाविक घटना है। मांग में 2006 से वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की समग्र वृद्धि पर विचार नहीं करते हुए प्राधिकारी को गुमराह करने वाले संकेतकों को जानबूझकर चुना है।

ठ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

97. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद मुख्यत: वस्त्र उद्योग में डेनिम को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतिम डेनिम उत्पाद पर प्रभाव मामूली है।

ख. विचाराधीन उत्पाद सेलुलोज फाइबर, कागज और चमड़े में भी प्रयोग होता है और डेनिम जींस के कॉटन, रंगे हुए कागज और रंगे हुए चमड़े में इसका अंतिम कीमत में योगदान क्रमश: 6 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत होता है। इस प्रकार, शुल्क लगने से डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रभावित नहीं होती।

ग. अन्य उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र के हैं। घरेलू उद्योग अनुचित आयातों के प्रभाव को झेल सकता है। तथापि, अन्य उत्पादकों के पास इसी तरह के प्रतिरोध के लिए संसाधन नहीं होंगे। अत: अनुचित आयातों से घरेलू उद्योग की रक्षा करना अनिवार्य है।

घ. संबद्ध वस्तु के आयातकों या प्रयोक्ताओं से कोई विरोध नहीं रहा है जिससे पता चलता है कि वे अपने पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की आशा नहीं करते हैं। पाटनरोधी शुल्क संबद्ध वस्तु की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि भारतीय उद्योग भारत में संपूर्ण मांग को पूरी करने की क्षमता रखता है।

ड. 10 वर्षों तक शुल्क लागू रहने के बावजूद ऐसा दर्शाने वाली कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है कि किसी भी डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा।

च. यदि शुल्कों का अप्रत्याशित और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो सरकार के पास शुल्कों को समाप्त करने का प्राधिकार है। तथापि, घरेलू उद्योग को कीमत वृद्धि के डर के कारण उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। क्षति वास्तविक है जबकि परिणामी कीमत वृद्धि की संभावना सुदूर है।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगने से पाटित आयातों पर रोक लगेगी और आयातों पर भारत की निर्भरता कम होगी। विदेशी मुद्रा के भंडार के बाहर जाने पर रोक लगेगी।

ज. संबद्ध देश के उत्पादक केवल अपनी आय को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं और उन्हें भारतीय बाजार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई अन्य बाजार बेहतर कीमत देता है तो संबद्ध देश के उत्पादक निश्चित रूप से उस बाजार में चले जाएंगे। जबकि भारतीय उद्योग उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखेगा।

झ. भारत आत्मनिर्भर है और संपूर्ण भारतीय मांग को पूरी करने की पर्याप्त क्षमता रखता है। भारतीय उद्योग के पास भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के लिए अंशदान देने की भी क्षमता है। तथापि, पाटित आयातों के कारण उनका निष्पादन प्रभावित हुआ है।

ञ. घरेलू उद्योग के अलावा, भारत में समान वस्तु के अनेक उत्पादक हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह प्रतिस्पर्धा और अधिक जीवंत हो जाएगी।

ट. पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा किसी व्यापार गड़बड़ी को दूर करके समान अवसर का बाजार स्थापित करना है और भारतीय उद्योग को उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर देना है।

ठ. पाटनरोधी उपाय लगाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ड. पाटनरोधी शुल्क लगने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।

ढ. भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा विरोध का अभाव दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

ण. घरेलू उद्योग की पीओआई के दौरान काफी निर्यात बिक्रियां रही हैं जिसमें प्रमुख बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी और चेक गणराज्य रहे हैं। यह वैविश्वक मानकों और तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने की उनकी क्षमता दर्शाता है।

त. प्राधिकारी चीन के उत्पादों के नकली उत्पादों के संबंध में चिंता जताने के लिए एक उचित मंच नहीं है।

ठ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

98. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए प्रयोक्ताओं / आयातकों के लिए एक प्रश्नावली विहित की थी, जिसमें पाटनरोधी शुल्क से उनके प्रचालनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव शामिल थे। प्राधिकारी ने यह भी विचार किया कि क्या शुल्क लगने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जांच की प्रक्रिया के दौरान इस जांच के लिए कदम उठाए गए थे कि क्या पाटनरोधी शुल्क लागू करना जनहित के खिलाफ होगा। इसके लिए प्राधिकारी ने

रिकार्ड में जानकारी और घरेलू उद्योग, आयातकों, उत्पाद के प्रयोक्ताओ सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार किया है।

99. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली विहित की थी जिसे इस जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी दी है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी बताई है। यह प्रभाव मामूली बढ़ाया गया था। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस दावे पर प्रश्न उठाते हुए कोई सूचना नहीं दी है।

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। भारत में संबद्ध वस्तु के लिए समान अवसर वाला बाजार सुनिश्चित करना भारतीय उद्योग के ढांचे को देखते हुए और भी जरूरी है। यद्यपि घरेलू उद्योग एक सार्वजनिक कंपनी है जो 200 से अधिक उत्पाद बनाती है। तथापि, अन्य भारतीय उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र में आतें है और प्रमुख रूप से एकल उत्पाद कंपनियां हैं। यदि संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री उनके लिए अव्यवहार्य हो जाता है तो उन्हें अपने प्रचालन बंद करने पडेंगे।

101. पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के अलावा देश में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग के पास भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता है। उन्होंने भारत में मांग में संभावित वृद्धि पर विचार करते हुए क्षमता में विस्तार भी किया है। इसलिए यदि शुल्कों से संबद्ध देश से आयात मात्रा को कम करने का कुल अवांछित परिणाम भी होता है तो भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग को आपूर्तियां जारी रहेंगी।

102. इस दलील के संबंध में कि आवेदक बाजार को एकाधिकारी बनाना चाहता है और यह कि पाटनरोधी शुल्क से डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रभावित होंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे । उचित कीमत पर आयात जारी

रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात भारतीय बाजार में उचित कीमत पर प्रवेश करें और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

103. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्कों के संभावित प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह माना जाता है कि शुल्क को लगाने से संबद्ध वस्तु की कीमतें प्रभावित हो सकती है और परिणामस्वरूप, डाउनस्ट्रीम उत्पाद की उत्पादन लागत बढ़ सकती है। तथापि, किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। यद्यपि विरोधी पक्षकारों ने दलील दी है कि शुल्क का प्रभाव पड़ेगा, परंतु कोई मात्रात्मक जानकारी प्रदान नहीं की है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के बारे में मात्रात्मक जानकारी दी है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बिल्कुल नगण्य है।

104. पाटनरोधी शुल्क सितंबर, 2019 तक मौजूद है। यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि पहले लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता तो वर्तमान जांच में प्रयोक्ता उद्योग द्वारा कड़ा विरोध किया जाता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

105. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक के अलावा, भारत में विषय वस्तुओं के अन्य सभी उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं। शुल्क लगाने से उन्हें अपने कार्यनिष्पादन में गिरावट को रोकने और अपने वैध हितों की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। शुल्क लगाने से अन्य भारतीय उत्पादकों को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बने रहने में ही मदद मिलेगी।

106. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इन तर्कों के संबंध में कि भारतीय बाजार में चीन के उत्पादकों के नकली उत्पाद बेचे जाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी समस्याओं को बताने के लिए डीजीटीआर उचित मंच नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा उनके अधिदेश से बाहर का है।

ड. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

107. प्राधिकारी ने दिनांक 25 जुलाई, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सभी आवश्यक तथ्यों द्वारा प्रकटन विवरण परिचालित किया । प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात सभी टिप्पणियों की उस सीमा तक जांच की है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है । किसी भी अनुरोध जो पूर्व में किए गए अनुरोधों का पुन: प्रस्तुति मात्र था और जिनकी जांच प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से की गई थी, को संक्षिप्तता के वास्ते दोहराया नहीं गया है ।

ड.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. शानडोंग डायेरियार्न इकोकैम कं. लि. के लिए निर्धारित निर्यात कीमत और पहुंच कीमत की फिर से जांच किए जाने की आवश्यकता है ।

ख. इस उत्पाद का पाटनरोधी शुल्क का इतिहास है क्योंकि इसे 10 वर्षों के लिए लगाया गया था जिसने डाउन स्ट्रीम सेक्टर को हानि पहुंचाते हुए आवेदक के लाभ में बहुत अधिक हद तक वृद्धि की।

ग. तर्कसंगत प्रतिफल तय करने के लिए लाभ मार्जिन लाभ के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए जब कोई पाटन नहीं हुआ हो । कुछ काल्पिनिक धनराशि के आधार पर 22 प्रतिशत लाभ का मार्जिन लेना पूर्ण रूप से अतार्किक है और इसे तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है।

घ. आवेदक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि वस्त्र उद्योग में मुद्रास्फीति में सल्फर ब्लैक की बिक्री को प्रभावित किया है।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

109. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. यह शुल्क 4-अंक के स्तर का सीमाशुल्क वर्गीकरण पर सिफारिश किया जाना अपेक्षित है । यदि प्राधिकारी केवल विशिष्ट कोड पर शुल्कों की सिफारिश करते हैं

तब आयातक अन्य एचएस कोड के अंतर्गत आयात कर शुल्कों से बच जाएंगे। जांच के बाद की अवधि में भी, दो और एचएस कोड 32041969 और 32041139 के अंतर्गत आयात हुए हैं ।

ख. प्राधिकारी द्वारा क्षति संबंधी मापदंडों की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

ग. असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की मात्रा का फिर से निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है । पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत आवेदक की लागत से कमतर होना जारी रहेंगे ।

घ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अंतिम जांच परिणामों में शुल्क की उल्लिखित मात्रा के प्रभाव को शामिल करें ।

ङ. पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत कम अवधि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने नहीं देगा।

च. पाटनरोधी शुल्क एम एस एम ई क्षेत्रों के अन्य उत्पादकों को बाजार में बने रहने और प्रचालनों को जारी रखने में सहायता करेगा । शुल्क के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हुए किसी भी प्रयोक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की है ।

छ. शुल्क के नियत रूप की सिफारिश पिछले कुछ वर्षों के दौरान कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के कारण अवश्य की जानी चाहिए । कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक ने अपनी कीमत कम की। इसके अलावा, इस देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और प्रयोक्ताओं से यह अपेक्षित नहीं है कि वे आयातों पर निर्भर रहें, इस कारण से, शुल्क के बैंचमार्क रूप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

ङ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

110. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और वे नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां अनुरोधों की पुनरावृति हैं

जिनकी जांच पहले ही उपयुक्त रूप से की जा चुकी है और जिन पर इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा चुका है । हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है ।

111. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल पर विचार करने के संबंध में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 और प्राधिकारी की सतत कार्य पद्धति के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है ।

112. पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में निर्यातक के दावे के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने इस जांच में भाग नहीं लिया है । निर्यातक ने कोई परिमाण घटाने योग्य प्रभाव उपलब्ध नहीं कराया है । रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद डाउन स्ट्रीम उत्पाद की लागत का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है । यदि पाटनरोधी शुल्क का कोई हानिकारक प्रभाव हुआ होता, तब प्रयोक्ता ने इस जांच में भाग लिया होता। भाग नहीं लेना यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

113. भाग लेने वाले उत्पादक की पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में इसे उपर्युक्त संगत तालिकाओं में संशोशित किया गया है ।

114. प्राधिकारी द्वारा शुल्कों की सिफारिश करने के लिए विचार किए गए एच एस कोड के संबंध में, यह देखा जाता है कि प्राधिकारी ने केवल डी जी प्रणाली लेनदेन वार आंकड़ों के अनुसार एच एस कोड पर विचार किया है । किसी भी स्थिति में सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

115. जहां तक वस्त्र उद्योग में मुद्रा स्फीति के अनुरोध का प्रश्न है जिसने आवेदक की बिक्री को प्रभावित किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि वस्त्र क्षेत्र में मुद्रास्पीति ने आवेदक की बिक्री को प्रभावित किया है, तब चीन जन. गण. से आयात और विचाराधीन उत्पाद की मांग भी प्रभावित हुई होती । हालांकि, चीन जन. गण. से आयात और उस उत्पाद की मांग जांच की अवधि में वृद्धि को दर्शाता है । इसके साथ ही, आवेदक को वित्तीय हानि, नकद लाभ में कमी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में कमी के कारण भी हानि हुई है । यह

भी देखा जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए कथन कलर प्रभाग से संबंधित हैं, जिसमें अन्य उत्पाद भी शामिल हैं । इसके अलावा, ये कथन घरेलू और निर्यात दोनों प्रचालनों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं । इस कारण से, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति ने आवेदक की बिक्री को प्रभावित किया है।

ढ. निष्कर्ष और सिफारिशें

116. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं:

i. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए सल्फर ब्लैक के आयातों की पाटनरोधी आरंभ शुरू करने के लिए आवेदक अतुल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था ।

ii. विचाराधीन उत्पाद सल्फर ब्लैक है जिसका प्रमुख रूप से उपयोग वस्त्र, कागज और चमड़ा उद्योगों में किया जाता है । इस उत्पाद का उत्पादन या तो तरल अथवा चूर्ण के रूप में किया जाता है । आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से उत्पादित उत्पाद की समान वस्तु है ।

iii. विचाराधीन उत्पाद विभिन्न संकेन्द्रणों जैसे बीआर 100, बीआर 200, बीआर 220, बीआर 240 आदि के अंतर्गत आता है । प्राधिकारी ने बीआर 200 को वर्तमान जांच के उद्देश्य से समतुल्य ग्रेड के रूप में माना है।

iv. घरेलू उद्योग के अलावा, भारत में विचाराधीन उत्पाद के 9 अन्य उत्पादक हैं । अन्य भारतीय उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं और सह-उत्पादकों ने इस जांच को अपना समर्थन प्रदान किया है । आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है । आवेदक नियम 5 की आवश्यकता को पूरा करते हैं ।

v. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और यह मार्जिन बहुत अधिक सकारात्मक है ।

vi संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई ।

vii. आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई और यह देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान उच्चतर थी। संबद्ध देश से आयातों में भारत में उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है ।

viii. कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के बावजूद, आयात की कीमत में जांच की अवधि में गिरावट आई । आयात की कीमत कच्चे माल की लागत में परिवर्तन के अनुपात में नहीं बदला है ।

ix. संबद्ध आयातों के कारण आवेदक की कीमतों में कटौती हो रही है।

x. घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान आयात की कीमत में कमी के कारण अपनी लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है जिसके फलस्वरूप कीमत ह्रास हुआ ।

xi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर पाटित आयातों के प्रभावों के संबंध में, संबद्ध आयातों ने आवेदक को वास्तविक क्षति पहुंचाई । इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं ।

क. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में जांच की अवधि में कमी आई ।

ख. क्षमता में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कमी आई ।

ग. संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से कमी आई ।

घ. घरेलू उद्योग को मालसूची में बहुत अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ा । घरेलू उद्योग की संक्षिप्त मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई ।

ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा, लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में भी क्षति की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई ।

च. प्राधिकारी ने आवेदक की मात्रा और कीमत मापदंड में ऋणात्मक वृद्धि देखी ।

छ. बहुत अधिक हानि होने तथा कम प्रतिफल अर्जित करने के कारण, संबद्ध आयातों ने पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया ।

ज. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

झ. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत के साथ तुलना यह दर्शाता है कि क्षति मार्जिन बहुत अधिक और सकारात्मक है।

xii. इस जांच ने किसी अन्य कारक को नहीं दर्शाया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था ।

xiii. किसी भी प्रयोक्ता अथवा आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता का भाग न लेना प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव की कमी को दर्शाता है ।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को उपलब्ध नहीं कराया है । दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करते हुए मात्रा संबंधी सूची प्रस्तुत की है कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा ।

xv. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गयी थी । आर्थिक हित प्रश्नावलीके संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर नहीं की गई है । घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी उपलब्ध कराई है ।

xvi. उद्योग की प्रकृति और पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के परिमाण पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क आवश्यक है ।

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरूआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था । पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरूआत करने और उसे संपन्न करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित है । इस कारण से, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

118. अनुसरण किए जा रहे कमतर शुल्क नियम पर विचार करते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के उद्देश्य से पाटन मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश से मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं ।

ल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा

अगोपनीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	32041196, 32041218, 32041911, 32041925, 32041958, 32041964, 32041967, 32041979 और 32049000	सल्फर ब्लैक	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शानडोंग डायरीयार्न इकोकैम कं. लि.	271	मी .ट.	$
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	शानडोंग डायरीयार्न इकोकैम कं. लि. को छोड़कर कोई भी उत्पादक	389	मी .ट.	$
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई	389	मी .ट.	$

सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ण. आगे की प्रक्रिया

119. निर्दिष्ट प्राधिकारी का इन जांच परिणामों में निर्धारण के विरूद्ध अपील इस अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)